

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पित पत्र अवधार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय की भास से ही किया जाए न
कि किती अलग परामिकता के बाहर हो।
उम्मीदवाले विषय पर यहां पूर्ण में पत्र
अवधार कुड़ा हो तो पत्र कलाकार हरे दिनांक
अवधार लिखा जाए निसस तापिता हो।



क्रमांक : यूनीवरिटी
दृष्टिकोण : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4692

दिनांक: २२/०३/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध **झफ्फीशर भासाविद्यालय, घूफ, जिला-मिष्ट (09926755494)** को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (भूगोल), बी.कॉम., बी.एच.एस.-सी. एवं एम.ए. (संख्या) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपाति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत लिखानकुड़ार लिरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
 (0751-2442836)
- (2) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. शैलजा जैन, के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर।
- (4) डॉ. आर.एस. पवार, प्राचार्य, शा. एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर।

लिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रात्याख्यों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष लिरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भरन, छीड़ा परिवर एवं पाठ्यक्रम/आठिनीन्द्रा तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की लियुक्तियों का प्रमाण एवं पेतन आदि के जारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष यूवा पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर लिरीक्षण समिति लंबोक्त एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर लिरीक्षण करावें। समिति संयोजक से जिवेदन है कि वे उक्त लिरीक्षण समय में लिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। लिरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकार लिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद लिरीक्षण में की गई देवी के लिए गहाविद्यालय रवयं उत्तराधी होगा। लिरीक्षणी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जावेगी। यहि महाविद्यालय 03 मह में लिरीक्षण बही करता है तो समिति रवयं बिरस्त हो जावेगी और पुर्व की लिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही लिरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अपौष्टिक है।

लिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरूप अधीक्षक / कार्यालय संचायक प्रावाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वर्तुलिति से लिरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। लिरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / टी.ए. / ग्रामदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

लोड-लिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है, आई.एन.टी. के जार्स को टुनिशित करने के उपरांत ही कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

3/3
कुलसंचित

प्रतिलिपि :-

1. समर्पित सदस्यों की ओर सुवर्णार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर लिरीक्षण दिवांक लिरीक्षण कर महाविद्यालय का लिरीक्षण करावें। उक्त लिरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलपाति के सचिव / कुलसंचित के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपाति के सचिव / कुलसंचित के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

Ram
सहायक कुलसंचित (सम्बद्धता)